न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 49/2013 G.C.M.S. No. 2013/00146 दर्ज दिनांक : 01.08.2013

अपीलार्थी:

1. गोपालसिंह पुत्र देवीसिंह
2. जेतुसिंह पुत्र देवीसिंह
3. दीपसिंह पुत्र देवीसिंह
4. रामसिंह पुत्र देवीसिंह
5. वनेसिंह पुत्र देवीसिंह
6. तुलसा सिंह पुत्र देवीसिंह
7. मीरा बेवा देवीसिंह, तमाम अकवाम रावत, निवासी कालब कलां, तहसील रायपुर, जिला ब्यावर।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. गुमानसिंह पुत्र अर्जुनसिंह
2. नैनसिंह पुत्र अर्जुनसिंह
3. करमसिंह पुत्र अर्जुनसिंह
4. मोहनसिंह पुत्र अर्जुनसिंह
5. गोकुलसिंह पुत्र अर्जुनसिंह
6. गोमी बेवा अर्जुनसिंह
7. ढगलसिंह पुत्र नाथुसिंह
8. बाबुसिंह पुत्र नाथुसिंह
9. भादुसिंह पुत्र नाथुसिंह
10. दीपसिंह गोदपुत्र पुनमसिंह
11. किशनसिंह पुत्र पुनमसिंह
12. सोहनसिंह पुत्र पुनमसिंह
13. वनेसिंह पुत्र पुनमसिंह
14. हंजा बेवा पुनमसिंह
15. प्रेमसिंह पुत्र दादुसिंह
16. शेरसिंह गोदपुत्र मोठसिंह
17. नाथुसिंह पुत्र मोठसिंह
18. खंगारसिंह पुत्र पुरणसिंह
19. चैनसिंह पुत्र मोठसिंह
20. जेठसिंह पुत्र घीसासिंह
21. मुलसिंह पुत्र रामसिंह
22. प्रेमसिंह पुत्र केशरसिंह
23. धन्नसिंह पुत्र बुद्धासिंह
24. मोहनसिंह पुत्र बुद्धासिंह
25. रोडसिंह पुत्र सुजेसिंह
26. घीसासिंह पुत्र भूरसिंह
27. मीरा पुत्री लुम्बसिंह
28. कालुसिंह पुत्र रामसिंह

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

29. लक्ष्मणसिंह पुत्र कुपसिंह
30. उदयसिंह पुत्र धनेसिंह
31. नीमसिंह पुत्र धनेसिंह
32. पुरणसिंह पुत्र धनेसिंह
33. कुनसिंह पुत्र भूरसिंह
34. हुक्मसिंह पुत्र भूरसिंह, तमाम अकवाम रावत, निवासी कालब कलां, तहसील रायपुर, जिला ब्यावर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर रायपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 326/2008 बअनवान गुमानसिंह बनाम गोपालसिंह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21.05.2013 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकार–

1. श्री मोहम्मद शरीफ काजी, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री लक्ष्मीनारायण वैष्णव, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट।

निर्णय

दिनांकः 30.12.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर रायपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 326/2008 बअनवान गुमानसिंह बनाम गोपालसिंह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21.05.2013 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 से 09 द्वारा एक राजस्व वाद धारा 88 व 92ए आर.टी.एक्ट. का अपीलान्ट व अन्य रेस्पोंडेन्ट के विरूद्ध पेश किया व यह निवेदन किया कि देवी सिंह, अर्जुन सिंह व नाथु सिंह सगे भाई थें व इनके पिता का नाम पांचुसिंह है व उक्त तीनो भाईयों का देहान्त हो चुका है व रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 से 09 (वादीगण) द्वारा यह निवेदन किया कि खसरा संख्या 540, 543, 1011, 1012, 1013 की कृषि भूमि ग्राम कलब कलां में स्थित है जिसमें देवी सिंह के नाम की जो कृषि भूमि हैं वह उनके पुत्रों के नाम दर्ज शुदा है यह वाद व निर्णय में दर्ज अनुसार देवी सिंह के हिस्से में दर्ज भूमि देवी सिंह के अकेले की नहीं हैं व उक्त कृर्षि भूमि पांचु सिंह की थीं व इसमें तीन भाईयों का हक हिस्सा व अधिकार है। परन्तु देवी सिंह के नाम अकेले दर्ज होने के कारण उत्तराधिकार की हैसियत से प्रतिवादीगण (अपीलान्ट) के नाम दर्ज हो गई इस कारण रेस्पोंडेन्ट (वादीगण) अपने हिस्से की घोषणा कराने के उत्तराधिकारी है व इस पर प्रतिवादीगण को तलब किया गया व जवाब पेश होने पर तनकीयात कायम की गई व तत्पश्चात निर्णय व डिक्री रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 से 09 (वादीगण) के पक्ष में पारित की गई। अपीलाधिन कृषि भूमि टिनेन्सी एक्ट अस्तित्व में आने से पूर्व से व प्रथम सटलमेन्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

के पूर्व से देवी सिंह का कब्जा काश्त व उपयोग व उपभोग था व वक्त सेटलमेन्ट व सेटलमेन्ट के बाद तक व देवी सिंह के हायती तक कब्जा काश्त व उपयोग–उपभोग देवी सिंह का था व रेवेन्यु रेकर्ड में देवी सिंह का नाम दर्ज था व देवी सिंह की मृत्यु के बाद अपीलान्ट का नाम दर्ज शुदा है अपीलान्ट खातेदार काश्तकार है व इस खातेदारी को इस वाद से पूर्व में कभी चैलेंज नहीं किया व अपीलान्ट के अधिकार अन्तिम हो चुके हैं व अपीलान्ट खातेदार काश्तकार है। इस कारण से निर्णय व डिक्री अपीलान्ट के विरूद्ध पारित की गई हैं। अपीलाधिन कृषि भूमि पांचुसिंह की कभी नहीं थीं व पांचुसिंह की मृत्यु छपना काल समय हों चुकी थीं। इस कारण से अपीलाधिन कृषि भूमि पांचुसिंह की होने का कथन सही नहीं हैं व देवीसिंह की शादी छपना काल के पहले हो चुकी थीं व तत्समय से व द्वितिय विश्व युद्ध के बाद गोली से जख्मी होने पर सर्वीस से आजाद होने पर यही पर आकर देवीसिंह जी द्वारा काश्त की गई थीं व देवी सिंह जी का ही शुरू से कब्जा काश्त है व उपयोग–उपभोग है। अर्जुन सिंह व नाथु सिंह व इनके वारिसान का अपीलाधिन कृषि भूमि में कब्जा व उपयोग–उपभोग न था, न ही वर्तमान में है। वादीगण (रेस्पोडेन्ट) न तो काश्तकार है न ही खुद काश्त की भूमि है, न ही रेकर्ड के खातेदार है। इस कारण से वादीगण (रेस्पोडेन्ट) के द्वारा जो धारा 88 के तहत वाद प्रस्तुत किया गया है जो मेन्टेनेबल नहीं हैं व धारा 92ए के तहत रेस्पोंडेन्ट (वादीगण) के खातेदारी अधिकार भी कन्फर्म नहीं हुए हैं। अपीलाधिन कृषि भूमि में वक्त प्रथम सटलमेन्ट से अपीलान्ट के पिता का नाम दर्ज था व वर्तमान में अपीलान्ट का नाम दर्ज है। माफिक कानून किसी का हित होता भी है तो उसकी म्याद 12 वर्ष तक की ही हैं व कब्जा प्राप्ति की म्याद ही तय शुदा है। इस कारण अब जो वाद घोषणा का रेस्पोंडेन्ट (वादीगण) लेकर आये यह कानून के अनुसार म्याद बाहर है व इतना पुराना वाद वादीगण चलने योग्य नही हैं। वाद में तहसीलदार आवश्यक मुकदमा पक्षकार है परन्तु तहसीलदार को पक्षकार नहीं बनाया गया है इस कारण से वाद डिक्री होने योग्य नहीं था व देवीसिंह जी के नाम से खातेदारी कृषि भूमि प्रथम सेटलमेन्ट के वक्त से है व खातेदारी अधिकार रेवेन्यू रेकर्ड में 30 वर्षों से अधिक पुराने हैं। इस कारण से धारा 90 साक्ष्य अधिनियम के अनुसार सही होने की उपधारणा है। अदालत मातहत द्वारा विचारण के दौरान 06 तनकियात कायम की गई परन्तु तनकीवार निर्णय नहीं किया गया व प्रत्येक तनकी का माफिक कानून अलग से निर्णय किया जाना आवश्यक है। निर्णय दिनांक 21–05–2013 को सुनाया गया व नकल आवेदन दिनांक आवेदन दिनांक 14–06–2013 को पेश किया गया व नकल दिनांक 05–07–2013 को प्राप्त हुई। अपीलान्ट का अधिवक्ता से सम्पर्क

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 15-07-2013 को हुआ, तब अधिवक्ता बिहारीलाल जी ने पत्रावली व नकल अपीलान्ट को दी व अपीलान्ट द्वारा रूपयों पैसों का बंदोबस्त कर पाली आये व अधिवक्ता से सम्पर्क किया व आज अपील पेश की जा रही है जो अन्दर म्याद है। तत्पश्चात उक्त अपील प्रस्तुत की गई। इस कारण जानकारी से अपील अन्दर म्याद है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावें।

म्याद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व इन पर उपलब्ध दस्तावेजात व संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 9 द्वारा अपीलांट व दीगर रेस्पोंडेंट्स के विरूद्ध वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में दिनांक 21.05.2013 को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील दिनांक 01.08.2013 को विलंब के साथ प्रस्तुत की गई। अपीलांट द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में नकल हेतु दिनांक 14.06.2013 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर देने तथा दिनांक 05.07.2013 को नकल प्राप्त होने तथा अधिवक्ता से संपर्क दिनांक 15.07.2013 को होने से जानकारी हुई। अतः विलंबकाल सद्भाविक होने से माफ किया जाकर अपील अंदर म्याद शुमार फरमावें।
2. हमारे विनम्र मत में दीर्घ विलंब निहित नहीं हैं तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में गुणावगुण से संबंधित सारवान प्रश्न विद्यमान है तथा विलंब अपीलांट की लापरवाही से होना साबित नहीं हैं तथा प्रकरण का निर्णयन कठोर, तकनीकी व प्रक्रियात्मक आधार पर नहीं कर गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। जिसके लिए उभयपक्षकारान को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र सारवान होने से स्वीकार कर विलंबकाल माफ करते हुए अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार किया जाता है।
3. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में अपीलांट प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र का खण्डन किया गया है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में विवाद्यक विरचित किए गए तथा वादीगण की साक्ष्य दिनांक 23.05.2012 को बंद कर प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

कार्यवाही करते हुए पत्रावली वास्ते अंतिम बहस में नियत की गई। चूंकि पत्रावली दिनांक 23.05.2012 को साक्ष्य वादी में नियत थीं तथा प्रतिवादी की ओर से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं थीं। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य वादी पूर्ण/बंद करने के पश्चात पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी हेतु नियत की जानी चाहिए थीं, जो नहीं की गई। अतः स्पष्ट है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट प्रतिवादीगण को साक्ष्य व प्रतिरक्षा का अवसर दिए बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई हैं।

4. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में विवाद्यक कायम किए गए। लेकिन अपीलाधीन निर्णय विवाद्यकवार पृथक–पृथक विवेचन व निर्णयन नहीं कर पारित किया गया है। जबकि व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 20 नियम 5 में प्रस्तुत साक्ष्य का संगत विधिक प्रावधानों के आलोक में विवाद्यकवार पृथक–पृथक विवेचन व सकारण निर्णयन के साथ प्रकरण अंतिम रूप से निर्णित किया जाना आज्ञापक है। जिसका हस्तगत प्रकरण में पूर्णतया अभाव पाया गया। अतः अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दूषित व विधिविरूद्ध होने से पुष्टि योग्य नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर वादी द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श 4 व 5 वादग्रस्त आराजीयात की खतौनी बंदोबस्त संवत 2011 से 2030 के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात प्रथम भू–प्रबंध से देवीसिंह वल्द पांचूसिंह हिस्सा 1/2 के नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1 से 7 देवीसिंह के वारिसान है। जबकि अपीलांट क्रमशः अर्जुनसिंह व नाथूसिंह के वारिसान है। अतः प्रथमदृष्टया यह स्पष्ट है कि भू–प्रबंध से वादग्रस्त आराजीयात प्रतिवादी संख्या 1 से 7 अपीलांट के पिता की खातेदारी आराजी हैं। लेकिन विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, वांछित अनुतोष व संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किए बिना एवं अपने विनिश्चय का कारण दर्शित किए बिना तथा स्पीकिंग आदेश पारित किये बिना यंत्रवत रूप से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर वादग्रस्त आराजीयात में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 से 7 अपीलांट के साथ खातेदारी अधिकार प्रदान कर कानूनन भूल की हैं। जो किसी भी दृष्टि से पुष्टियोग्य नहीं हैं।

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र मत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित होने तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की पुष्टि नहीं होने से अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त कर प्रकरण को विधिनुरूप निर्णित करने के लिए अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर रायपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 326/2008 बअनवान गुमानसिंह बनाम गोपालसिंह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21.05.2013 को अपास्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में प्रतिवादीगण को साक्ष्य व प्रतिरक्षा प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण में उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए आदेश 20 नियम 5 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक विधिक प्रावधानों का अनुपालन करते हुए विवाद्यकवार पृथक–पृथक वांछित अनुतोष एवं प्रस्तुत साक्ष्य का संगत विधिक प्रावधानों के आलोक में विस्तृत विवेचन करते हुए सकारण निर्णयन के साथ प्रकरण गुणावगुण के आधार पर विधिनुरूप निर्णित करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्ता पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 29.01.2026 को असालतन/वकालतन न्यायालय सहायक कलक्टर रायपुर में उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **30.12.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner